

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि / नरेगा / आधार / 56323 / 2010

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा  
समस्त राजस्थान।

25 AUG 2015

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजना का भामाशाह योजना के साथ लिंकेज के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किये जा रहे भुगतान को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “भामाशाह योजना” से जोड़े जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस संबन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित किया जावे :—

1. नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्ट किये जा चुके आधार नम्बर का लिंकेज लाभार्थी के सी.बी.एस. आधारित बैंक खाते के साथ कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. जिन श्रमिकों के आधार नम्बर किसी बैंक खाते के साथ जुड़े हुए नहीं है अथवा आधार नम्बर नहीं है एवं उस श्रमिक का भामाशाह कार्ड में सी.बी.एस. आधारित बैंक खाता अंकित है, ऐसी स्थिति में सत्यापन उपरान्त सी.बी.एस. आधारित इस बैंक खाते को नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्ट किया जावे।
3. यदि श्रमिक के पास आधार नम्बर नहीं है अथवा आधार का लिंकेज सी.बी.एस. बैंक खाते के साथ नहीं है तथा भामाशाह कार्ड एवं नरेगा सॉफ्ट दोनों में अलग-अलग सी.बी.एस. आधारित बैंक खाते प्रविष्ट है, ऐसी स्थिति में नरेगा सॉफ्ट में प्रविष्ट इस सी.बी.एस. आधारित बैंक खाते को भामाशाह कार्ड में प्रविष्ट कराया जावे। भामाशाह कार्ड में एक व्यक्ति के एक से अधिक खाते जोड़े जाने का प्रावधान उपलब्ध है।

भामाशाह कार्ड बनाये जा चुके श्रमिकों के संबन्ध में कृपया उक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 31.08.2015 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय  
  
(त्रिभुवनपति)  
अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
4. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
5. रक्षित पत्रावली।

३३ २५-८-१५

अतिरिक्त आयुंक्त प्रथम, ईजीएस